ग्राम पंचायत, काण्डा बनाह, विकास खण्ड कुपवी ज़िला शिमला के

लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, काण्डा बनाह, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

i) प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री आशा देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री नीलम धिरटा	23.01.2016 से निरन्तर

ii)सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री लायक राम	01.04.2015 से 31.12.2016
4.	श्री प्रोमिला शर्मा	01.01.2017 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, काण्डा बनाह के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि
1	5	रोकड़ बही बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.62
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.36
3	8	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	28.65
4	**9**	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय	20.61

5	11(i)	निर्माण कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख प्रस्तुत न करना	95.94
6	11(ii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, करने से सम्भावित दुर्विनियोजन	0.50
7	12(i)	मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण/ प्रस्तुत न करना	71.26
8	13(i)	आपूर्तिकर्ता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR/कच्ची रसीद पर दर्शाया गया अनियमित व्यय भुगतान	11.23
9	13(iii)	सीमेंट की खरीद HPSCS न करके राशि का अधिक भुगतान	0.55
10	13(iv)	TSC/SBM योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु किये गए भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	3.74

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत काण्डा बनाह, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2018 से 19.05.2018 तथा 21.05.18 से 23.05.2018 को ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	08/2015	07/2015
2016-17	07/2016	09/2016
2017-18	05/2017	04/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत काण्डा बनाह, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹**6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय**

लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2018-19-4 दिनांक **23.05.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काण्डा बनाह से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत काण्डा बनाह विकास खंड कुपवी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत काण्डा बनाह विकास खंड कुपवी के अवधि 01/4/2015 से 31/3/2018 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **{परिशिष्ट-1) में दिया गया है:-**

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	------	48745.00	48745.00	19237.00	29508.00
2016-17	29508.00	64569.00	94077.00	10290.00	83787.00
2017-18	83787.00	75795.00	159582.00	19707.70	139874.30

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii). अनुदान:- ग्राम पंचायत, काण्डा बनाह के अवधि 01/4/2015 से 31/3/2018 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2 (A)}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	692239.00	5842008.00	6534247.00	5916778.00	617469.00
2016-17	617469.00	8922935.00	9540404.00	7442121.00	2098283.00
2017-18	2098283.00	9391511.00	11489794.00	8625024.00	2864770.00

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/15 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.18 को ₹0.62 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है| जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/201 8 को निम्नविवरणानुसार ₹**62,312.10** का अन्तर पाया गया| उक्त अन्तर में से ₹**8500.70**. **{परिशिष्ट-5}** के अन्तर के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका, जिस बारे जाँच कर अन्तर के कारणों का पता लगाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	139874.30	1
2.	अनुदान	2864770.00	2
3.	कुल शेष राशि	3004644.30	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	2942332.20	4
5.	कुल अन्तर	**62312.10**	5 व् 6

31.03.218 को विभिन्न खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	31.03.2018
सामान्य निधि	HPSCB, Chopal	40510100035	441364.00
	HPSCB, Kupvi	46210101095	1771320.90
SBM	------do-----	46210102365	626310.00
14th FC	------do-----	46210100815	103337.30
		बचत बैंक खातों में 31.03.18 को शेष राशि	**2942332.20**

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता:-

ग्राम पंचायत को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न

करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए| यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत काण्डा बनाह द्वारा उनके पत्र **क्रमांक:GP/KandaBanah/Kupvi/2018-19-3** दिनांक 23.05.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है;

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	30/-	2014-15
		40/-	2015-16
		50/-	2016-17
		50/-	2017-18
2	Shop Rent	------	---NA---
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	3 Revenue villages, but no receipt during audit period
4	Marriage Registration fees	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
		200/-**{BPL 25/-}**	Registration within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	---------
6	Liquor cess	As per govt. rates	---------
7	Any other receipt due		---NIL---

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

7 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत काण्डा बनाह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: जी.पी.ऑडिट/कुपवी/काण्डा बनाह/2018-19-3 दिनांक 17/05/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक:GP/Kanda Banah/Kupvi/2018-19-3** दिनांक 23/05/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की ₹**36,310** वसूली योग्य शेष थी:-

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
01.04.15	01.04.14 से 31.03.15 तक गृहकर की कुल देय राशि				5370/-
2015-16	196	40/-	7840/-	------	13210/-
2016-17	223	50/-	11150/-	------	24360/-
2017-18	239	50/-	11950/-	------	36310/-
			गृहकर की वसूली योग्य राशि		**36310/-**

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान की ₹28.65 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/201 8 तक अनुदानों से प्राप्त **₹28,64,770** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान ही व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान सम्बन्धित विकास कार्य पर व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए साथ ही अनुदानों की निरर्थक/उनुपयोग पड़ी धन राशि के उपयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को सम्बन्धित विकास कार्यों पर व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा निरर्थक/उनुपयोग पड़ी राशि का सम्बन्धित **Funding Agency** को प्रत्यार्पण किया जाये|

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹20.61 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है सम्बंधित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2060795 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित ओ आपतिजनक है

अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए

बिल नं	विक्रेता का नाम	क्रय की गई सामग्री	राशि
		सामान्य निधि (माह-07/2015)	
कच्ची रसीद	भाऊराम/ घस्सूराम	5 चट्ठे पत्थर@1910/-	9550/-
GR-16	शिरगुल गुड्स केरियर	90 बैग्स रेत@ 86/-	7740/-
1593	सामटा हार्डवेयर, कुपवी	15 बैग्स सीमेंट @ 353/-	5295/-
312	गर्ग ट्रेडर्स, ददाहू	गार्डरस 2344kg@ 98/-	229712/-
		एंगल्स/नट बोल्ट् 167kg	20040/-
		7 पाइप्स @ 2000/-	14000/-
Cm-129	समता हार्डवेयर, कुपवी	91 बैग सीमेंट @ 350/-	31850/-
Cm-125	------do------	80 बैग सीमेंट @ 350/-	28000/-
Cm-998	------do------	42 बैग सीमेंट @ 350/-	14700/-
कच्ची रसीद	श्याम सिंह/रूप सिंह	30 चट्ठे पत्थर @ 2000/-	60000/-
		सामान्य निधि (माह-09/2016)	
2053	आर. एस. ट्रेडर्स, ददाहू	1195 किलो सरिया	46916/-
2054	------do------	2576 ईंटें @ 12/-	30912/-
कच्ची रसीद	श्याम सिंह/रूप सिंह	335 बैग बजरी @ 50/-	16750/-
670	चौहान हार्डवेयर	50 बैग सीमेंट @ 355/-	17750/-
कच्ची रसीद	केवल राम/दौलत राम	8 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	33600/-
कच्ची रसीद	------do------	------do------	33600/-
कच्ची रसीद	------do------	230 बैग बजरी @ 180/-	41400/-
कच्ची रसीद	------do------	8 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	33600/-
1703	समता हार्डवेयर कुपवी	1137 किलो पाइप@130/-	147810/-
1049	------do------	748 किलो पाइप@130/-	97240/-
625	सन्त राम एंड संस	1151 किलो सरिया@60/-	69060/-
1705	समता हार्डवेयर कुपवी	78 बैग सीमेंट @ 350/-	27300/-
1416	------do------	45 बैग सीमेंट @ 350/-	15750/-
1704	------do------	38 बैग सीमेंट @ 350/-	13300/-
कच्ची रसीद	रमेश चन्द/विजय सिंह	176 बैग बजरी @ 115/-	20240/-
067	दलीप सिंह मान्टा	234 बैग रेत @ 150/-	35100/-
GR-173	ननदेयक ब्रदर्स	250 बैग रेत @ 180/-	45000/-
GR-127	------do------	250 बैग रेत @ 180/-	45000/-

कच्ची रसीद	केवल राम/दौलत राम	7 चट्ठे पत्थर @ 4000/-	28000/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	3 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	10500/-
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-
---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-
---do---	------do------	9 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	37800/-
---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-
---do---	------do------	3 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	12600/-
---do---	कमला देवी/रमेश चन्द	305 बैग बजरी @ 150/-	45750/-
---do---	------do------	306 बैग बजरी @ 150/-	45900/-
---do---	------do------	160 बैग बजरी @ 180/-	28800/-
---do---	------do------	265 बैग बजरी @ 150/-	39750/-
--------	दलीप सिंह मान्टा	176 बैग रेत @ 180/-	31680/-
356	------do------	330 बैग रेत @ 150/-	49500/-
703	चौहान हार्डवेयर	100 बैग सीमेंट @ 360/-	36000/-
कच्ची रसीद	श्याम सिंह/रूप सिंह	8 चट्ठे पत्थर @ 2000/-	16000/-
---do---	------do------	85 बैग बजरी @ 100/-	8500/-
	कुल भुगतान		**2060795/-**

10 क्रय सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक

रजिस्टर में दर्ज करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए| अंकेक्षण अवधि में चयनित माह में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का विवरण उपरोक्त **पैरा:9** के नीचे दिया गया है |

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i). ₹95.94 लाख के निर्माण कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन न किया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Kanda Banah/2018-19-2 दिनांक 17/05/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत काण्डा बनाह द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/KandaBanah/Kupvi/2018-19-02 दिनांक 23.05.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो पर व्यय किये गए ₹**95,94,155** का भुगतान उक्त कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही किया गया प्रतीत होता है, क्योकि उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न तो उक्त कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन दर्शाया गया है और न ही उक्त कार्यों की 31.03.2018 को वास्तविक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) दर्शाई गई, जिसकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय/भुगतान स्वीकृत राशि/प्राक्कलन व् तकनीकी मूल्यांकन अनुसार सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए कि उपलब्ध करवाई गई विकास कार्यों की सूची में दर्शाए गए अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन-कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार सही है अथवा नहीं| यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान अनियमित/अनुचित पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

अनुदान	भुगतान	विवरण
GENERAL HEAD/14th FC	9442507/-	क्रम संख्या 1 से 75 तक
MGNREGA	151648/-	क्रम संख्या 1 से 20 तक
Total:-	**9594155/-**	

(ii). तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.50 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया की निम्न तालिका में दिए गए निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹50,019** का अधिक आहरण किया प्रतीत होता है, जिसकी विभागीय स्तर पर जाँच करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए|

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा/राशि	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
MNREGA:-निर्माण पक्का रास्ता सरांवटली से मुड़दघाट MB-8115 पृष्ठ-16-17					
बजरी	27.26 cum	25.38 cum	1.88	3206/-	6027/-
सामान्य:-P/W केवल राम बस्ती काण्डा MB-13572 पृष्ठ-20-21					
पत्थर	11.25 cum	9.86 cum	1.39	1910/-	2655/-
सामान्य:-L/R मुख्य मार्ग से कुजाह MB-13572 पृष्ठ-80-81					
पत्थर	67.5 cum	29.88 cum	37.62	888.88	33439/-
14th FC:-खेल मैदान सरांवटली MB-8115 पृष्ठ-44-45					
पत्थर	29.25 cum	24.69 cum	4.56	1184/-	5399/-
14th FC:-निर्माण शोचालय पंचायत घर MB-8115 पृष्ठ-34-37					
पत्थर	13.5 cum	11.25 cum	2.25	1111/-	2499/-
				राशि का अधिक आहरण/भुगतान	**50019/-**

(iii). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र {कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों} इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान की अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी, तथा दर्शाया गया व्यय भुगतान स्वीकृत राशि, प्राक्कलन व् तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार सही था अथवा नहीं इस बारे भी पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उक्त अभिलेख

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए, तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 मनरेगा योजना से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताएँ:-

(i) मनरेगा योजना की रोकड़ बही संधारित/प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त अवधि के दौरान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के स्तर पर पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों हेतु **(संलग्न Online Financial Statements)** के अनुसार **₹71,26,076** का ऑनलाइन भुगतान किया गया है| अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार **Online Financial Statements** के अनुसार दर्शाए गए व्यय भुगतान को ही पंचायत का प्राप्ति व् भुगतान मानकर पंचायत की मासिक आय-व्यय विवरणी तैयार करके अंकेक्षण हेतु माह का चयन किया गया है तथा तदानुसार ही पंचायत की वितीय स्थिति तैयार की गई है| अतः उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित रोकड़ बही तैयार/अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए|

इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख, जैसे, जॉब कार्ड पंजीकरण रजिस्टर, कार्य मांग पंजिका (Demand Register), मस्टर रोल्स जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिस कारण उक्त अभिलेख की अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी| अतः पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करे साथ ही समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे|

वर्ष	मजदूरी	मिस्त्री	सामग्री	कुल भुगतान
2015-16	682444/-	64498/-	200707/-	947649/-
2016-17	2004666/-	48823/-	418000/-	2471489/-
2017-18	2120299/-	56639/-	1530000/-	3706938/-
कुल भुगतान	**4807409/-**	**169960/-**	**2148707/-**	**7126076/-**

13 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i). निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note}कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद पर दर्शाया गया ₹11.23 लाख का अनियमित व्यय भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में पाया गया कि निर्माण सामग्री का क्रय विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके उनके द्वारा जारी **GR नोट अथवा कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद** को पारित करके निम्नतालिकानुसार **₹11,22900** का

व्यय भुगतान दर्शाया गया है, जोकि आपूर्तिकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के आभाव में अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः उक्त प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से **उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल {proper Tax Invoice/Bill}** तथा भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित उचित रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया अन्यथा उक्त व्यय भुगतान को सक्षम उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य के लिए इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

बिल नं	विक्रेता का नाम	क्रय की गई सामग्री	राशि
सामान्य निधि (माह-07/2015)			
कच्ची रसीद	भाऊराम/ घस्सूराम	5 चट्ठे पत्थर@1910/-	9550/-
---do---	श्याम सिंह/रूप सिंह	30 चट्ठे पत्थर @ 2000/-	60000/-
सामान्य निधि (माह-09/2016)			
---do---	श्याम सिंह/रूप सिंह	335 बैग बजरी @ 50/-	16750/-
---do---	केवल राम/दौलत राम	8 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	33600/-
---do---	------do------	------do------	33600/-
---do---	------do------	230 बैग बजरी @ 180/-	41400/-
---do---	------do------	8 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	33600/-
---do---	रमेश चन्द/विजय सिंह	176 बैग बजरी @ 115/-	20240/-
GR-173	ननदेयक ब्रदर्स	250 बैग रेत @ 180/-	45000/-
GR-127	------do------	250 बैग रेत @ 180/-	45000/-
कच्ची रसीद	केवल राम/दौलत राम	7 चट्ठे पत्थर @ 4000/-	28000/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	11.5चट्ठे पत्थर @4200/-	48300/-
---do---	------do------	**3 चट्ठे पत्थर @ 3500/-****	**10500/-**
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	14 चट्ठे पत्थर @ 3500/-	49000/-
---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-

---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-
---do---	------do------	9 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	37800/-
---do---	------do------	11 चट्ठे पत्थर @ 4200/-	46200/-
---do---	------do------	**3 चट्ठे पत्थर @ 4200/-****	12600/-
---do---	कमला देवी/रमेश चन्द	305 बैग बजरी @ 150/-	45750/-
---do---	------do------	306 बैग बजरी @ 150/-	45900/-
---do---	------do------	160 बैग बजरी @ 180/-	28800/-
---do---	------do------	265 बैग बजरी @ 150/-	39750/-
--------	दलीप सिंह मान्टा	176 बैग रेत @ 180/-	31680/-
कच्ची रसीद	श्याम सिंह/रूप सिंह	**8 चट्ठे पत्थर @ 2000/-****	**16000/-**
---do---	------do------	85 बैग बजरी @ 100/-	8500/-
कुल भुगतान			**1122900/-**

(ii). निर्माण सामग्री की आपूर्ति दरों में भारी अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2016 में निम्नतालिकानुसार निर्माण सामग्री पत्थर की आपूर्ति केवल राम/दौलत राम द्वारा ₹4200. तथा ₹3500 प्रति चट्ठा की दर से की गई है जबकि उसी माह में श्री श्याम सिंह/रूप सिंह द्वारा पत्थर की आपूर्ति ₹2000 प्रति चट्ठे की दर से की गई है| इसी प्रकार बजरी की आपूर्ति केवल राम/दौलत राम द्वारा ₹180 प्रति बैग, रमेश चन्द/विजय सिंह द्वारा ₹115 प्रति बैग तथा श्री श्याम सिंह/रूप सिंह द्वारा ₹50. प्रति बैग की गई है| परिणामस्वरूप पत्थर की आपूर्ति दर में ₹**2200 {**4200-2000} तथा बजरी की दर में ₹**130** {180-50} का भारी अन्तर पाया गया है, जिससे उक्त सामग्री की अधिक दर से दर्शायी गई आपूर्ति/खरीद सन्दिग्ध तथा सरकारी कोष से राशि का अधिक आहरण किया गया प्रतीत होता है| अतः सामग्री की आपूर्ति दरों में अत्यधिक अन्तर के वास्तविक कारणों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा गत पैरा में दर्शायी गई खरीद तथा ऐसे अन्य प्रकरणों की की जाँच कर राशि के अधिक आहरण/भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

बिल नं	विक्रेता का नाम	क्रय की गई सामग्री	दर
	सामान्य निधि (माह-09/2016)		
कच्ची रसीद	श्याम सिंह/रूप सिंह	8 चट्ठे पत्थर	2000/-प्रति चट्ठा
---do---	केवल राम/दौलत राम	3 चट्ठे पत्थर	3500/- प्रति चट्ठा
---do---	------do------	3 चट्ठे पत्थर	4200/- प्रति चट्ठा

---do---	------do------	230 बैग बजरी	180/- प्रति बैग
---do---	रमेश चन्द/विजय सिंह	176 बैग बजरी	115/- प्रति बैग
---do---	श्याम सिंह/रूप सिंह	335 बैग बजरी	50/- प्रति बैग

(iii). सीमेंट की खरीद HPSCS न करके ₹0.55 लाख का अधिक भुगतान:-

सामान्य निधि में प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत किये गए निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से करके ₹**54,755** का अधिक भुगतान किया गया है| जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCS, Ltd से उक्त अवधि में सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी **अनापत्ति (NOC)** प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया| अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त खरीद पर की गई अधिक अदायगी की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए| उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है|

नं	विक्रेता	बिल संख्या/ दिनांक/माह	सीमेंट की मात्रा (बैग्स)	प्रति बैग खरीद दर	HPSCC की दरें (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	सामटा हार्डवेयर	1593/ 07/2015	15	353/-	245/-	1620/-
2	---do---	129/ 20.05.15	91	350/-	245/-	9450/-
3	---do---	125/ 10.05.15	80	350/-	245/-	8400/-
4	---do---	998/ 21.04.15	42	350/-	245/-	4410/-
5	चौहान हार्डवेयर	1109/ 07/2015	30	350/-	245/-	3150/-
6	---do---	670/ 09/2016	50	355/-	275/-	4000/-
7	सामटा हार्डवेयर	1413/ 09/2016	12	350/-	275/-	900/-
8	---do---	1705/ 09/2016	78	350/-	275/-	5850/-
9	---do---	1416/ 09/2016	45	350/-	275/-	3375/-
10	---do---	1704/ 09/2016	38	350/-	275/-	2850/-
11	---do---	1750/ 09/2016	30	350/-	275/-	2250/-
12	चौहान हार्डवेयर	356/ 09/2016	100	360/-	275/-	8500/-
	अधिक अदायगी/भुगतान की राशि		**611**			**54755/-**

(iv). TSC/SBM योजना/अनुदान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹3,73,600 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 04/2017 में **पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC/SBM)** के अंतर्गत शोचालय निर्माण हेतु BPL परिवार को ₹**2700** तथा अन्य परिवारों को ₹**12000**

प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹**3,73,600** का भुगतान दर्शाया गया है, जिससे सम्बन्धित **स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा उक्त अनुदान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है अथवा नहीं तथा लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय का निर्माण कर लिया गया था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्हें आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(v). सीमेंट की खरीद पर ₹600 का अधिक भुगतान:-

चयनित माह **09/2016** में **सुरक्षा दिवार देवनगरी (सामान्य निधि)** के निर्माण कार्य हेतु 12 बैग्स सीमेंट @ ₹350 की खरीद पर मेस्सर्स सामटा हार्डवेयर, कुपवी को ₹**4200** के बजाय ₹**4800** का भुगतान दर्शाकर पंचायत निधि से ₹**600** का अधिक आहरण/भुगतान किया गया है जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

14 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये|

15 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** को तैयार नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व

(5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है|

16 प्राप्त आय/अनुदान से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पंचायत को प्राप्त हुई आय/अनुदान से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शायी गई प्राप्ति सही थी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| इसके अतिरिक्त नकद में प्राप्त राशि को भी पूर्णतः रोकड़ दर्ज किया गया था अथवा नहीं इस बारे भी जाँच नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उक्त अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर उसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

18 **प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये|

19 **विविध अंकेक्षण आप्पतियाँः-**

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ वही एवं खाता वहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

ii) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा है, भविष्य में जिसकी अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए |

iii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया जा रहा है, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए|

iv) व्यय भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त नहीं की गई/जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित/proper रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए|

20 लघु आपत्ति विवरणिकाः-

पृथक से जारी नही कि गयी यद्यपि इस सम्बन्ध में वाँछित कारवाई पंचायत सचिव को आवश्यक दिशानिर्देश दे मोके पर ही करवा ली गयी ।

21 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)84/2018 खण्ड—1—5291—5294 दिनांक 06.08.2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत कान्डा बनाह, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला हि0प्र0

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046